

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. _20_ की एरिया सभा संख्या 20/2_ के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक _11/2/2026_ को समय _11:00 am_ बजे एरिया सभा की बैठक village Saunda Gurudwara पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

Bhushan Ahuja
Secretary
एरिया सभा संख्या 20
Ward no 20

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 2 की एरिया सभा संख्या 2/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11/02/2026 को समय 11 बजे एरिया सभा की बैठक Shiv Mandir, Shivpuri Colony पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव,

एरिया सभा संख्या 2/2

वार्ड नं. 2

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 3 की एरिया सभा संख्या 3/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11/02/2026 को समय 11:00 AM बजे एरिया सभा की बैठक शिव मंदिर कम्युनिटी सेंटर हाउसिंग बोर्ड पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

Pawan

सचिव,

एरिया सभा संख्या - 3/2

वार्ड नं. 3

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप


नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 09 की एरिया सभा संख्या 09/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11/02/2026 को समय 11 AM. बजे एरिया सभा की बैठक शिव शंकर धर्मशाला, छोटा बाजार, वार्ड - 9, अंबाला शहर में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है:-

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।


सदस्य सचिव,

एरिया सभा संख्या 09/2

वार्ड नं. 09

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 14 की एरिया सभा संख्या 14/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक __11/02/2026 को समय 11.00बजे एरिया सभा की बैठक community center sec 1 पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

दिनांक :

_06/02/2026_____

सचिव,

एरिया सभा संख्या

14/2_____

वार्ड नं. 14_____

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 11 की एरिया सभा संख्या 11/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय सुबह 11 बजे एरिया सभा की बैठक गुरु गोबिंद सिंह लाइब्रेरी , रेलवे रोड पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव,

एरिया सभा संख्या 11/2

वार्ड नं. 11

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम अम्बाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम अम्बाला के वार्ड नं. 15 की एरिया सभा संख्या 15/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय सुबह 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक सामुदायिक केन्द्र, मोती नगर में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार है:

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन
3. दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थाना पर भाग लेने का कष्ट करें।

@h1

सचिव,
एरिया सभा संख्या 15/2
वार्ड नं. 15
नगर निगम अम्बाला।

नगर निगम अम्बाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम अम्बाला के वार्ड नं. 13 की एरिया सभा संख्या 13/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय सुबह 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक सरकारी स्कूल, जंडली में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार है:

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन
3. दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थाना पर भाग लेने का कष्ट करें।


सचिव,
एरिया सभा संख्या 13/2
वार्ड नं. 13
नगर निगम अम्बाला।

नगर निगम अम्बाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अम्बाला के वार्ड नं. 19 की एरिया सभा संख्या 19/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय सुबह 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक गुरुद्वारा श्री टेक बहादुर, सैनिक विहार, जंडली, पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार है:

1. वृद्धावस्था पेंशनके लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
3. दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव,

एरिया सभा संख्या 19/2

वार्ड नं. 19

नगर निगम अम्बाला।

नगर निगम अम्बाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम अम्बाला के वार्ड नं. 01 की एरिया सभा संख्या 1/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय सुबह 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक सामुदायिक केन्द्र, डंगड़ेरी पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार है:

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन
3. दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव,

एरिया सभा संख्या 1/2

वार्ड नं. 1

नगर निगम अम्बाला।

नगर निगम, अम्बाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अम्बाला के वार्ड नं 16 की एरिया सभा संख्या 16/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक सामुदायिक केन्द्र नसीरपुर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है:—

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव

एरिया सभा संख्या 16/2

वार्ड नं0 16

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अम्बाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अम्बाला के वार्ड नं 17 की एरिया सभा संख्या 17/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक श्री गुरु रविदास मंदिर बादशाही बाग अम्बाला शहर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है:—

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।


सचिव

एरिया सभा संख्या 17/2
वार्ड नं0 17
नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 05 की एरिया सभा संख्या 05/02 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक Khera Dharamshala, Manmohan Nagar पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।


सचिव:- मनीष,

एरिया सभा संख्या 05/02

वार्ड नं. 05

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 10 की एरिया सभा संख्या 10/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11/02/2026 को समय 11 AM. बजे एरिया सभा की बैठक शिव मंदिर, अंबाला, हरियाणा में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है:-

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

सचिव, 

एरिया सभा संख्या 10/2
वार्ड नं. 10
नगर निगम, अंबाला

नगर निगम अम्बाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम अम्बाला के वार्ड नं. 18 की एरिया सभा संख्या 18/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय सुबह 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर 10 पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न प्रकार है:

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन
3. दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वैरिफिकेशन
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थाना पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव,

एरिया सभा संख्या 18/2

वार्ड नं. 18

नगर निगम अम्बाला।

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 12 की एरिया सभा संख्या 12/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11-02-2026 को समय 11.00 AM बजे एरिया सभा की बैठक Community Center sector-7 में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

06/02/2026

बंटी कुमार, सचिव

एरिया सभा संख्या 12/2

वार्ड नं. 12

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अम्बाला


एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अम्बाला के वार्ड नं 04 की एरिया सभा संख्या 04/2के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक परशुराम भवन बलदेव नगर अम्बाला शहर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है:-

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव

एरिया सभा संख्या 04/2

वार्ड नं 04

नगर निगम, अम्बाला

नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 07 की एरिया सभा संख्या 07/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11/02/2026 को समय 11 AM बजे एरिया सभा की बैठक नाहन हाउस कम्युनिटी सेंटर पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।


सचिव, विक्रम

एरिया सभा संख्या 07/2

वार्ड नं 07

नगर निगम, अंबाला



नगर निगम, अंबाला

एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अंबाला के वार्ड नं. 06 की एरिया सभा संख्या 06/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11/02/2026 को समय 11 AM बजे एरिया सभा की बैठक पंचायत भवन अम्बाला शहर पर आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है :-

- वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
- एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

अतः इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।



सचिव, रतन सिंह

एरिया सभा संख्या 06/2

वार्ड नं 06

नगर निगम, अंबाला

नगर निगम, अम्बाला


एरिया सभा की बैठक आयोजित करने हेतु नोटिस तथा एजेंडा का प्रारूप

नगर निगम, अम्बाला के वार्ड नं 08 की एरिया सभा संख्या 8/2 के सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.02.2026 को समय 11:00 बजे एरिया सभा की बैठक कार्यालय नगर निगम, अम्बाला में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एरिया सभा के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा भाग लिया जाना आवश्यक है।

इस बैठक का एजेंडा निम्न है:—

1. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
2. विधवा पेंशन के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
3. दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों की वेरिफिकेशन।
4. एरिया सभा की अनुमति से अन्य कोई एजेंडा।

इस एरिया सभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि इस बैठक में कृपया निश्चित तिथि समय तथा स्थान पर भाग लेने का कष्ट करें।

 11/2/26

सचिव

एरिया सभा संख्या 8/2

वार्ड नं 08

नगर निगम, अम्बाला